राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1 (28)वन/2022 जयपुर, दिनांक :– 13.03.2023

सहायक महानिरीक्षक,
(एफ.सी.डिवीजन), भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोर बाघ रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– Diversion of 100.05 ha. of forest land in Favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.

संदर्भः– आपका पत्रांक 8–10/2022–एफसी दिनांक 05.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्राटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवस/5078 दिनांक 28.02.2023 से प्रेषित बिन्दुवार रिपोर्ट इस कार्यालय की सहमति सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि विषयाकिंत प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक स्वीकृति शीध्र जारी करवाने का श्रम करावे।

भवदीया,

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

Signature Not Verified
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.03.13 17:21:58 IST
Reason: Approved

घर घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं./ 5078 दिनांक 28/02/2023

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Proposal for diversion of 100.05 ha of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP) -1 to 4. (Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

सन्दर्भः–मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर का पत्रांक 1122 दिनांक 09.02.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी EDS दिनांक 05.12.2022 के क्रम में निम्नानुसार प्रेषित हैः–

Sr. No.	Observation	Reply
1.	As per the DSS analysis through satellite imagery, it is observed that a part of forest land located under 'SARWAN DERI B Forest Block' has not been included in the instant diversion proposal. The map is given in Annexure for ready reference. The same is required to be examined and necessary action is required to be taken accordingly.	उप वन संरक्षक बांसवाडा ने अवगत कराया है कि सरवन डेरी B की वन भूमि भूमि को पूर्व में ही प्रस्ताव में शामिल कर रखा है। यह भूमि ग्राम लालपुरा के खसरा संख्या 117 की 0.43 है भूमि है। संशोधित KML file अपलोड कर दी गयी है।
2.	The calculated degraded forest land for CA as per uploaded KML file is found to be 304 ha. instead of 286.10 ha. Thus, this variation needs to be re-checked and corrected KML file be uploaded on PARIVESH The State shall also ensure that the area proposed for CA was not a part of the CA plantations of any other project.	उप वन संरक्षक बांसवाडा ने अवगत कराया है कि 286.10 है0 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है किन्तु KML file 304 है0 की संलग्न की गयी है जिसका कारण परिभ्राषित वन भूमि में पहाड़ी, ढलान नाले होने के कारण 18 है0 भूमि अधिक ली गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित परिभ्रांषित वन भूमि दो रेंजो में स्थित है प्रथम घाटोल रेंज में वनखण्ड जगमेर जोगीमाल में DFL हेतु प्रस्तावित 200.10 है0 वन भूमि में पूर्व में किसी भी अन्य परियोजना के पेटे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य नहीं हुआ है। इसी प्रकार बांसवाडा रेंज में वनखण्ड बाबादेव खजूरी में DFL हेतु प्रस्तावित 86.00 है0 वन भूमि में पूर्व में किसी भी अन्य परियोजना के पेटे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य नही करवाया गया है।

Scanned with CamScanner

3.	The State was asked to submit the details of alternative sites which have been explored/examined for the execution of the project. However, the same have not been provided. The State has also not given any justification for locating the project in the proposed forest area.	As per UA, Sites for Nuclear Power Plants are selected based on stringent siting criteria such as earthquake & Seism tectonic activity in the area, geotechnical & geophysical of the soil strata, availability of water and land, conducive drainage and flooding pattern et.al. This site offered by the Government of Rajasthan was evaluated by the Site Selection Committee, Government of India and approval for setting up of Nuclear Power Plants PHWR type with installed capacity of 2800 MWe (4.x 700 MWe) at MAHI BANSWARA IN RAJASTHAN was accorded vide letter No. 1/5 (5) / Site selection committee formed by Department of Atomic Energy (DAE) issued Report No-4- Assessment of sites for locating Nuclear Power Plant in Northern electricity region in June 2003. As 2010-Power/ 9100 dated 17th August 2011.report is of confidential nature, excerpts related to selection of Mahi Banswara site is enclosed herewith (Annexure 3.1) in which, the various sites had been explored in Rajasthan before recommending to Mahi Banswara. Approx. 16% of Forest Land proposed to be diverted is in patches spreading across private land and extending up to low lying area adjoining to Mahi Reservoir. In the process of identifying land for Nuclear Power Plant (NPP) all available options have been considered before narrowing down on the proposed site of plant. Due consideration has been given to minimize on forest land diversion for the project. The proposed diversion is only 16% including pipeline corridor for drawl of water required for the plant. Thus, the requirement put forth is the barest minimum.
4.	The presence of settlements & Agriculture land on the area proposed for diversion was observed in DSS analysis. The State has not given any justification for the same.	वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2008 के तहत् अनुसूचित जाति के लोगो को कृषि एवं आवास के लिए हक पत्र जारी किये जाने के कारण प्रत्यावर्तित वन भूमि में सेटलमेंट एवं कृषि भूमि होना दिख रहा है। यूजर एजेन्सी द्वारा विस्थापित हक पत्र धारक परिवार को आर.एण्ड आर पॉलिसी के तहत मुआवजा तथा मकान के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।(प्रति संलग्न है।)

Scanned with CamScanner

घर-घर
औषधि योजना

		प्रत्यावर्तित वन भूमि में सेटलमेंट एवं कृषि भूमि होने का कारण वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2008 के तहत् अनुसूचित जाति के लोगो को कृषि एवं आवास के लिए हक पत्र जारी किये गये है जिनका वो उपभोग कर सकते है। यूजर एजेन्सी द्वारा विस्थापित हक पत्र धारक परिवार को आर.एण्ड आर मुआवजा तथा मकान के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।
5.	The copy of the approved R&R plan has not been submitted, which is required to be done.	As per DCF, Approved copy of R&R is already enclosed as annexure of Part-I, Para F (ii) & F (ii) (a) of online application. Based on agreed R&R plan (enclosed as new annexure 5.1) and revised award had been notified in Nov. 2015, which includes R & R value (enclosed as annexure-5.2). Presently Rs. 159.98/160 crore has been disbursed as per plan, Construction of R&R colony is completed and process to hand over the houses to PAFS has been initiated.

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं./ दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
3. मुख्य निर्माण अभियंता, माही बांसवाड़ा, राजस्थान एटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट, NPCIL पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल, आडीभीत तहसील–छोटीसरवन, जिला–बांसवाड़ा (राज.)।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner

घर-घर
औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001
Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( )तकनिकी/मुवसं/2022–23/ 1122 दिनांक :– 09-02-2023

निमित्,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Proposal for diversion of 100.05 ha of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project(MBRAPP)–1 to 4. (Online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

संदर्भ :– भारत सरकार का ईडीएस दिनांक 05.12.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाये गए आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति कर उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्र कमांक प. 14 () एफ.सी.ए./उवसं/2021/896 दिनांक 01.02.2023 से प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्रेषित किया है। उप वन संरक्षक, बांसवाडा से प्राप्त प्रत्युत्तर इस कार्यालय की सहमती के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल ही तीन प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।(मूल ही तीन सैट में)

भवदीय,
(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

MBAPP
15/02

क्रमांक पत्रा 5( )वसु/मुवसं/2022–23/ 1122 दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 896 दिनांक 01.02.2023 के कम में।

2– मुख्य निर्माण अभियंता, माही बांसवाडा, राजस्थान एटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट, NPCIL, पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल, आडीभीत तहसील– छोटीसरवन, जिला –बांसवाडा (राज.)।

P/2 put up

2081
15/02/23

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/ 896 दिनांकः— 1/02/2023

निमित्त,
श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक आवक क्रमांक 749 6/2/23

विषय :— Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara,Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.(online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

सन्दर्भः— Government of India ,Ministry of Environment,Forests and Climate Change (FC Division) File No.8-10/2022-FC EDS Dated 05.12.2022 एवं आपके पत्र क्रमांक 8925 दिनांक 20.12.2022 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सन्दर्भित EDS Dated 05-12-2022 के क्रम में आपके पत्रांक 8925 दिनांक 20.12.2022 के अनुसार आक्षेप का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :—

1- As per the DSS analysis through satellite imagery,it is observed that a part of a forest land located under 'SARWAN DERI B Forest Block' has not been included in the instant diversion proposal .The map is given in Annexure for ready reference.The same is required to be examined and necessary action is required to be taken accordingly.

<u>प्रत्युत्तर</u>— आपके द्वार दिये गये एनेक्सर मैप को देखने पर उक्त भूमि को प्रत्यावर्तित भूमि में पूर्व से ही शामिल कर रखा है।उक्त वन भूमि ग्राम लालपुरा के खसरा नम्बर 117 की 0.43 हैक्टयर वन भूमि है जो प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मे पूर्व से ही शामिल है। यूजर एजेन्सी द्वारा संशेधित के.एम.एल अपलोड कर दी गई है।

2- The calculated degraded forest land for CA as per uploaded KML file is found to be 304 ha. instead of 286.10 ha. Thus, this variation needs to be re-checked and corrected KML file be uploaded on PARIVESH .The State shall also ensure that the area proposed for CA was not a part of the CA plantations of any other project.

Fcl 2/2/23 Put up

<u>प्रत्युत्तर</u>— 286.10 हैक्टयर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वन भूमि के बदले 304 हेक्टयर भूमि की के.एम.एल भेजी गई है। उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वन भूमि में पहाडी, ढलान नाले होने के कारण 18 हैक्टयर भूमि अधिक ली गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वन भूमि दो रेंजो में है जिसमें से घाटोल रेंज में वनखण्ड जगमेर जोगीमाल में DFL हेतु प्रस्तावित 200.10 हेक्टयर वन भूमि में पूर्व में किसी भी अन्य परियोजना के पेटे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य नहीं हुआ है एवं इसी प्रकार बांसवाडा रेंज में वनखण्ड बाबादेव खजूरी में DFL हेतु प्रस्तावित 86.00 हेक्टयर वन भूमि में पूर्व में किसी भी अन्य परियोजना के पेटे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य नही करवाया गया है।

3. The state was asked to submit the details of alternative sites which have been explored/examined for the execution of the project. However the same have not been provided. The state has also not given any justification for locating the project in the proposed forest area.

<u>प्रत्युत्तर</u>— Sites for Nuclear Power Plants are selected based on stringent siting criteria such as earthquake &Seism tectonic activity in the area, geotechnical & geophysical of the soil strata, availability of water and land, conducive drainage and flooding pattern et.al. This site offered by the Government of Rajasthan was evaluated by the Site Selection Committee, Government of India and

Scanned with CamScanner

approval for setting up of Nuclear Power Plants PHWR type with installed capacity of 2800 MWe (4 x 700 MWe) at MAHI BANSWARA IN RAJASTHAN was accorded vide letter No. 1/5 (5) / 2010–Power/ 9100 dated 17th August 2011.

Site selection committee formed by Department of Atomic Energy (DAE) issued Report No-4 – Assessment of sites for locating Nuclear Power Plant in Northern electricity region in June 2003. As report is of confidential nature, excerpts related to selection of Mahi Banswara site is enclosed herewith (Annexure 3.1) in which, the various sites had been explored in Rajasthan before recommending to Mahi Banswara.

Approx. 16% of Forest Land proposed to be diverted is in patches spreading across private land and extending upto low lying area adjoining to Mahi Reservoir. In the process of identifying land for Nuclear Power Plant (NPP) all available options have been considered before narrowing down on the proposed site of plant. Due consideration has been given to minimize on forest land diversion for the project. The proposed diversion is only 16% including pipeline corridor for drawl of water required for the plant. Thus the requirement put forth is the barest minimum.

4- The presence of settlements & Agriculture land on the area proposed for diversion was observed in DSS analysis. The state has not given any justification for the same.

<u>प्रत्युत्तर</u>– प्रत्यावर्तित वन भूमि में सेटलमेंट एवं कृषि भूमि होने का कारण वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2008 के तहत् अनुसूचित जाति के लोगो को कृषि एवं आवास के लिए हक पत्र जारी किये गये है जिनका वो उपभोग कर सकते है।यूजर एजेनसी द्वारा विस्थापित हक पत्र धारक परिवार को आर.एण्ड.आर मुआवजा तथा मकान के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

5- The copy of the approved R & R plan has not been submitted,which is required to be done.

<u>प्रत्युत्तर</u>– Approved copy of R&R is already enclosed as annexure of Part-I, Para F (ii) & F (ii) (a) of online application. Based on agreed R&R plan (enclosed as new annexure 5.1) and revised award had been notified in Nov. 2015, which includes R & R value (enclosed as annexure -5.2). Presently Rs. 159.98/160 crore has been disbursed as per plan. Construction of R&R colony is completed and process to hand over the houses to PAFs has been initiated.

संलग्न : उपरोक्तानुसार (4 प्रतियों में)

भवदीय,

(जिग्नेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/ दिनांकः–

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –</u>

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, माही बांसवाडा, राजस्थान, एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, NPCIL, बांसवाडा।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\FCA\Mayank\NPCIL\NPCIL.docx

Scanned with CamScanner

न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

30.01.2023

To,

Deputy Conservator of Forests,
Banswara,
Rajasthan

Sub : Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.(online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

Ref : MoEFCC, GOI, (FC Division) File No.8-10/2022-FC EDS Dated 05.12.2022

With respect to subject and reference above, our response to point No.3 & 5 of EDS dtd. 05.12.2022 has been given as below.

Response to Point No.3

Sites for Nuclear Power Plants are selected based on stringent siting criteria such as earthquake & Seismo-tectonic activity in the area, geotechnical & geophysical of the soil strata, availability of water and land, conducive drainage and flooding pattern etc. This site offered by the Government of Rajasthan was evaluated by the Site Selection Committee, Government of India and approval for setting up of Nuclear Power Plants PHWR type with installed capacity of 2800 MWe (4 x 700 MWe) at MAHI BANSWARA IN RAJASTHAN was accorded vide letter No. 1/5 (5) / 2010–Power/ 9100 dated 17th August 2011.

Site selection committee formed by Department of Atomic Energy (DAE) issued Report No-4 – Assessment of sites for locating Nuclear Power Plant in Northern electricity region in June 2003. As report is of confidential nature, excerpts related to selection of Mahi Banswara site is enclosed herewith (Annexure 3.1) in which, the various sites had been explored in Rajasthan before recommending to Mahi Banswara.

Scanned with CamScanner

Approx. 16% of Forest Land proposed to be diverted is in patches spreading across private land and extending up to low lying area adjoining to Mahi Reservoir. In the process of identifying land for Nuclear Power Plant (NPP), all available options have been considered before narrowing down on the proposed site of plant. Due consideration has been given to minimize on forest land diversion for the project. The proposed diversion is only 16% including pipeline corridor for drawl of water required for the plant. Thus the requirement put forth is the barest minimum.

Response to Point No.5

Approved copy of R&R is already enclosed as annexure of Part-I, Para F (ii) & F(ii) (a) of online application. Based on agreed R&R plan (enclosed as new annexure 5.1) and revised award had been notified in Nov. 2015, which includes R&R value (enclosed as annexure -5.2). Presently Rs. 159.98/160 crore has been disbursed as per plan. Construction of R&R colony is completed and process to hand over the houses to PAFs has been initiated

Also find enclosed herewith five files containing hard copies of the documents uploaded on "PARIVESH" portal. It is requested to process the file at the earliest so that Forest Clearance of the Nuclear Power Project of national importance can proceed further.

30.01.2023

(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer

SAROJ KUMAR VERMA
मुख्य निर्माण अभियंता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Encl :
1. Annexure-3.1- Response to item no 3 of EDS 8-10/2022-FC dated 05.12.2022
2. Annexure-5.1- Response to item no 5.1 of EDS 8-10/2022-FC dated 05.12.2022
3. Response to item no 5.2 of EDS 8-10/2022-FC dated 05.12.2022
4. Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.
5. Geo-referenced map of the forest land prepared using GPS.

Scanned with CamScanner

न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project
पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel Thesil Chhoti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

30.01.2023

To,

Deputy Conservator of Forests,
Banswara,
Rajasthan

Sub : Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.(online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).

Ref : MoEFCC, GOI, (FC Division) File No.8-10/2022-FC EDS Dated 05.12.2022

With respect to subject and reference above, our response to point No.3 & 5 of EDS dtd. 05.12.2022 has been given as below.

कार्यालय उ. वन संरक्षक
क्रमांक 178
दिनांक 31/01/2023
बांसवाड़ा (राज.)

Response to Point No.3

Sites for Nuclear Power Plants are selected based on stringent siting criteria such as earthquake & Seismo-tectonic activity in the area, geotechnical & geophysical of the soil strata, availability of water and land, conducive drainage and flooding pattern etc. This site offered by the Government of Rajasthan was evaluated by the Site Selection Committee, Government of India and approval for setting up of Nuclear Power Plants PHWR type with installed capacity of 2800 MWe (4 x 700 MWe) at MAHI BANSWARA IN RAJASTHAN was accorded vide letter No. 1/5 (5) / 2010–Power/ 9100 dated 17th August 2011.

Site selection committee formed by Department of Atomic Energy (DAE) issued Report No-4 – Assessment of sites for locating Nuclear Power Plant in Northern electricity region in June 2003. As report is of confidential nature, excerpts related to selection of Mahi Banswara site is enclosed herewith (Annexure 3.1) in which, the various sites had been explored in Rajasthan before recommending to Mahi Banswara.

Scanned with CamScanner

Approx. 16% of Forest Land proposed to be diverted is in patches spreading across private land and extending up to low lying area adjoining to Mahi Reservoir. In the process of identifying land for Nuclear Power Plant (NPP), all available options have been considered before narrowing down on the proposed site of plant. Due consideration has been given to minimize on forest land diversion for the project. The proposed diversion is only 16% including pipeline corridor for drawl of water required for the plant. Thus the requirement put forth is the barest minimum.

Response to Point No.5

Approved copy of R&R is already enclosed as annexure of Part-I, Para F (ii) & F(ii) (a) of online application. Based on agreed R&R plan (enclosed as new annexure 5.1) and revised award had been notified in Nov. 2015, which includes R&R value (enclosed as annexure -5.2). Presently Rs. 159.98/160 crore has been disbursed as per plan. Construction of R&R colony is completed and process to hand over the houses to PAFs has been initiated

Also find enclosed herewith five files containing hard copies of the documents uploaded on "PARIVESH" portal. It is requested to process the file at the earliest so that Forest Clearance of the Nuclear Power Project of national importance can proceed further.

30.01.2023

(Saroj Kumar Verma)
Chief Construction Engineer

SAROJ KUMAR VERMA
मुख्य निर्माण अभियंता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु
Mahi Banswara Rajasthan Atomic

Encl :
1. Annexure-3.1- Response to item no 3 of EDS 8-10/2022-FC dated 05.12.2022
2. Annexure-5.1- Response to item no 5.1 of EDS 8-10/2022-FC dated 05.12.2022
3. Response to item no 5.2 of EDS 8-10/2022-FC dated 05.12.2022
4. Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.
5. Geo-referenced map of the forest land prepared using GPS.

Scanned with CamScanner

Annexure 3.1

CONFIDENTIAL

REPORT NO. 4
ASSESSMENT OF SITES FOR LOCATING NUCLEAR POWER PLANTS

NORTHERN ELECTRICITY REGION

SITE SELECTION COMMITTEE
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
JUNE 2003

सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Scanned with CamScanner

FOREWORD

Reference is invited to Department of Atomic Energy (DAE) Office Memorandum No. 13/1(1)/98-Power/1122 dated 28th December 1998 constituting a Site Selection Committee (SSC) for setting up of future Atomic Power Stations. This Committee submitted its interim report in April 2000 covering various criteria for selection of sites, history of previous site investigations and schedule of the work to be done by SSC. Subsequently, the report titled "Report No. 1 - Additional Potential of Existing Sites for location of Nuclear Power Plants" was submitted to DAE vide letter dated 12th January 2001. Later report titled "Report No.2-Assessment of sites for locating Nuclear Power Plants in Southern Electricity Region" was submitted to DAE vide letter dated 28th February 2002. The report titled "Report No.3-Assessment of sites for locating Nuclear Power Plants in Western Electricity Region" was submitted to DAE vide letter dated 11th September 2002. The Committee also submitted the report titled "Interim Report on Overall Assessment of Sites for Locating Nuclear Power Plants" vide letter dated 9th December 2002.

This report titled "Report No.4-Assessment of sites for locating Nuclear Power Plants in Northern Electricity Region" has now been prepared and the same has been considered and approved for submission to DAE by the SSC in it's meeting held on 20th May 2003. This report covers sites in Northern Electricity Region.

Following sites have been recommended as per details and conditions indicated in the report:

Location	District	State
Kumharia	Fatehabad	Haryana
Patran	Patiala	Punjab
Mahi-Banswara	Banswara	Rajasthan
Rawatbhata	Chittorgarh	Rajasthan
Narora	Bulandshahr	U.P.

The evaluation with respect to site at Rawatbhata and Narora had already been covered in the earlier Report No.1. However it is now re-evaluated for

Scanned with CamScanner

setting up of additional 2X700 MWe PHWRs. The report also indicates order of merit of the sites in the Northern Electricity Region as below:.

Location	District	State
Rawatbhata	Chittorgarh	Rajasthan
Narora	Bulandshahr	U.P.
Kumharia	Fatehabad	Haryana
Patran	Patiala	Punjab
Mahi-Banswara	Banswara	Rajasthan

The characteristics of Rawatbhata and Narora sites have been compiled based on available data supplemented by information with NPCIL (RAPS-1 to 4, RAPP-5&6 and NAPS-1&2). Site related data for Kumharia site in Haryana, Patran site in Punjab and Mahi-Banswara site in Rajasthan have been furnished by Nodal State Govt. agencies, viz. Haryana Vidyut Prasaran Nigam (HVPN), Punjab State Electricity Board (PSEB) and Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam (RRVPN), nominated by Haryana State Govt., Punjab State Govt. and Rajasthan State Govt. respectively, for co-ordinating with the SSC. This has been supplemented by the data compiled by the previous SSC on these sites.

Working Group members, drawn from the various organisations i.e. Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (AMD), Central Electricity Authority (CEA), Union Ministry of Environment and Forests (MOEF) and Units of NPCIL, have participated in collection scrutiny and review of the site related characteristics and also in preparing the recommendations and conclusions.

I wish to thank the members of SSC and the members of the Working Group for the co-operation in preparing this report.

Mumbai
16-06-03

(V. K. Chaturvedi)
Chairman & Managing Director &
Chairman, Site Selection Committee

Scanned with CamScanner

breaches in canal from natural and man made causes. Present Committee corresponded with Punjab Government for suggesting any new sites and reevaluation of Patran site. No new site was suggested by Punjab Government and only Patran site was reevaluated.

In Rajasthan Hayath Committee in 1961-62 investigated Tulsonka Namla on Jaisamand lake near Udaipur. Because the site was too far from existing electrical grid and large scale fishing in the area, it was not considered suitable (water availability was also not dependable). Hayath Committee also investigated Rawatbhata site and recommended for setting up Nuclear Power Plant. India's first PHWRs were set up at Rawatbhata followed later by number of units. Chakravarti Committee in 1972 recommended Rawatbhata for further expansion. Kati Committee investigated Bayana, Panchana, Jaisamand, Rawatsar, Rawatbhata and Mahi-Banswara. Bayana and Panchana did not have satisfactory source of water. Jaisamand also did not have sufficient water due to irrigation commitments. Srinivasan Committee agreed with this view. At Rawatsar, source of water is Rajasthan main canal. During closure periods a pond will have to be constructed which was considered expensive. In the general area around, ground subsidence on account of salt deposits is reported. Also the site is near to International border (94 km). Hence Rawatbhata and Mahi-Banswara were the two sites Srinivasan Committee recommended after detailed investigations. Present Committee corresponded with the Rajasthan Govt. for suggesting any new sites and reevaluation of Mahi-Banswara site. Rajasthan Govt. suggested Dholpur, Rodhain, Sankarpur, Rundhgajpura and Gaupipla. The sites at Dholpur, Rodhain and Sankarpur did not have good foundation conditions and reliable source of water hence were not considered for further investigations. Gaupipla site is situated on a small river Wakal. The source of water was not reliable and so this site was not considered further. The site at Rundhgajpura had good foundation conditions but source of water is through Chambal river which is 8 km from site. Further, about the 160 mtr. of pumping head for cooling water is required. Since the stretch of Chambal down stream of Kota barrage is declared as crocodile sanctuary, clearance from environmental angle for construction of barrage for assured supply of water for the plant will be difficult. State Govt. has been requested to carry out investigation in the area for locating a site closer to water source with practical pumping head. At Mahi-Banswara, the State Govt. has still not assured the water availability. Present Site Selection Committee has evaluated Mahi-Banswara (subject to availability of water) and existing Rawatbhata site for expansion.

Scanned with CamScanner

Annexure 5.1

(37)

OFFICE OF THE LAND ACQUISION OFFICER (DIVISIONAL OFFICER) BANSWARA(RAJ.)

No. राज/2015/143

Date 27-03-2015

Mr. Ranjan sharan
Chief Engineer (700Mwe-MBG)&
CCE, Haryana Project NPCIL.

Sub:- Finalisation of land compensation and R&R package For Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project.

Subsequent to the issue of Section-9 notification for private land of 2642 bigha for Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP),consultation with PAPs and their core committee members (Adivasi Sangharsh Samiti) had been started by conducting various meetings. In parallel, social and economic survey of Project Affected Persons has also been started.

Though demand for more compensation is raised by the villagers based on discussion with villagers, it is likely that most of the villagers may agree for the compensation as per the enclosure .

You are requested to convey the approval of NPCIL for giving the compensation as per the enclosure which is in line with draft discussions of collector/SDM/LAO and PAP's and their committee.

Application for acquisition of Govt. land (87.23 Ha) and forest land (107.57 Ha) will be expedited once the award for acquisition of private land along with R&R package is declared.

As the award has to be made within 2 years of Section 6 dated 27-08-2013 we would appreciate a promt response so that we can go ahead with acquisition process.

Sincerely

LAND ACQUISION AUTHORITY
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
BANSWARA(RAJ)

सरोज कुमार वर्मा
SAROJ KUMAR VAERMA
मुख्य निर्माण अभियन्ता
Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Scanned with CamScanner

Summary of compensation as per RFCT-LARR act-2013 with amendment Ordinance-2014

The First Schedule (Compensation for Land Owners)	As per the Act			As per draft discussion of Collector/SDM/ LAO and PAPs and their committee
			Remarks	
A	Compensation for Land Owners	1 to 2 times of market value as per distance from urban area	Market value as on Sec-4 notification date to be taken	1.75 times the market value of Rs 1.00 lakh per bigha (2.5 lakh per acre) to be uniformly applicable to entire land under acquisition
B	Landed asset cost	Cost Based on survey		Cost based on survey
C	Solatium	100% on (A+B)		100% on A+B
D	Final award value	(A+B+C) plus 12% on (A+100%) from date of market value		A+B+C as latest market value taken

Ranjay Sharan

भूमि अर्जन अधिकारी (एन.डी.आर.) बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

The Second Schedule (R&R package per family)			Remarks	
1	Housing units	As per Indira Awas Yojana	Or cash payment of more than Rs 1.5 lakh or as actual whichever is higher	2.0 lakh
2	Land for land	2.5 Acres or less as per actual for SC/ST	Applicable to irrigation project	NIL
		Minimum of 1 Acres in command area for others	Applicable to irrigation project	NIL
3	Offer of developed land	20% of developed land to be offered to land owners	Applicable to urbanisation project	NIL

Ranjay sharma

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

(40)

4	Annuity or employment	Employment to at least one member per family	Or Rs 5 lakh per family Or minimum of Rs 2000/- per month per family for 20 years	Rs 2500 p.m. annuity to leader of the family for 20 years or Rs 5 lakh lumpsum to one member or Job to one member based on qualification, suitability and vacancy
5	Subsistence grant	Rs 3000/- per month per family for 1 year from award	Rs 50000/- extra cash to SC/ST plus relocation in similar ecological zone	Rs 86000/- lumpsum
6	Transportation cost for shifting	Rs 50000/- per family		Rs 50000/-
7	Cattle shed/petty shops cost	Minimum of Rs 25000/- per family		Rs 30000/-
8	Grant to artisan etc	Minimum of Rs 25000/- per family		Rs 30000/-
9	Fishing rights	-	Applicable to Irrigation or hydel project	NIL
10	Resettlement allowance	Rs 50000/-	Once only	Rs 50000/-

Ranjay Sharan

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

(41)

11	Stamp duty and registration fee	At actual	Joint names of husband and wife	At actual
The Third Schedule (Provision of Infrastructural Amenities)	Following to be provided: Road, drainage, safe drinking, water for cattle, gazing land, fair price shops, Panchayat Ghars, Post office, transport, burial or cremation ground, sanitation, electricity, Anganwadi, school, sub-health centre, primary health centre, playgroung, community centre,worship places, traditional tribal institution, forest rights, security, veterinary services.			Grant of Rs 50000/- per family for this as they do not want to live together at one place

भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) बांसवाड़ा

Ranjay sharan

Scanned with CamScanner

न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा
जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– रूकमणि रियाड़ सिहाग (आई.ए.एस)

–:: संशोधित अवार्ड ::–

दिनांक :– – –2015

(सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाडा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट परियोजना हेतु तहसील छोटीसरवन जिला बासंवाड़ा के ग्राम बारी, रेल, आडीभीत, कटूम्बी, सजवानिया व तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा के ग्राम खाण्डियादेव के निजी खातेदारी भूमि का अवार्ड)

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाडा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4 गुणा 700 मेगावाट (2800 मेगावाट) के निर्माण हेतु तहसील छोटीसरवन के ग्राम आडीभीत, कटुम्बी, रेल, बारी सजवानिया एवं तहसील आंबापुरा के ग्राम खाण्डियादेव की भूमि अवाप्ति हेतु अवार्ड दिनांक 21–08–2015 से अवार्ड जारी किया गया एवं उक्त राशि का अवार्ड उर्जा विभाग को अनुमोदन हेतु भेज अनुमोदन कराया गया।

अवार्ड का स्टेटमेन्ट (परिशिष्ट क) की पुनः एक रूपी जांच करने पर पाया गया कि अवार्ड में लिपिकीय एवं अंकगणित सबंधित शुद्धि किया जाना आवश्यक है इसके अलावा गणना बिस्वा में किये जाने पर एक बीघा की डी.एल.सी रेट 90448/– रूपये के अनुसार एक बिस्वा की डी.एल.सी रेट 4522.4/– होना होता है मगर अवार्ड के मुआवजा राशि की गणना 4522/– रूपये से की जाने पर मुआवजे राशि में अन्तर प्राप्त हुआ एवं पूर्णांक में आंकड़ो से अवार्ड नही बनाने पर राशि में अन्तर पाया गया जिसे पूर्णांक में आंकड़ो से अवार्ड बनाया जाकर निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

गांव आडीभीत में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकडो संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के बाद **कुल राशि रूपये 21090/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढोतरी हुई।** एवं कृषि भूमि को अवासीय कर विक्रय किये जाने से क्रेताओं के नाम से अवार्ड बनाया गया परन्तु उक्त क्रेताओं की भूमि के पृथक से उनके अवार्ड के योग करने में त्रुटि हुई जिसे संशोधन किया गया इसके अनुसार अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 12 व 13 पर खाता संख्या 65 (नया) 56 (पुराना) के आराजी संख्या 376/181 में आरीका पुत्री अरूण कुमार के अवार्ड राशि 2957116/– के बजाय 2474710/– रूपये, साधना पत्नि मनोज के अवार्ड राशि 5281146/– के बजाय 2323999/– रूपये, सपना पत्नि निरज के अवार्ड राशि 7574566/– के बजाय 2293421/– रूपये एवं अभिलाशा पत्नि अरूण कुमार के अवार्ड राशि 9706355/– के बजाय 2131789/– रूपये व खाता संख्या 47 (नया) 56 (पुराना) के आराजी संख्या 377/131 में श्वेता पत्नि विशाल के अवार्ड राशि 2577094/– के बजाय 2302157/– रूपये, कुसुम पत्नि नितेश कुमार के अवार्ड राशि 5102041/– के बजाय 2524947/– रूपये, सोनल पत्नि नरेश कुमार के अवार्ड राशि 7292803/– के बजाय 2190763/– रूपये एवं उषा पत्नि मांगीलाल के अवार्ड राशि 9706355/– के बजाय 2413552/– रूपये पढ़ा जावें इस कारण **कुल राशि रूपये 31542138/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में कमी हुई।**

इस प्रकार गांव आडीभीत में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 663704645/– रूपये के बजाय राशि 632183597/– रूपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 31521048/– रूपये अवार्ड में कमी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी

सरोज कुमार वर्मा / SAROJ KUMAR VARMA
मुख्य निर्माण अभियंता / Chief Construction Engineer
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड / Nuclear Power Corporation of India Limited
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना / Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

Scanned with CamScanner

गांव बारी में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ो संबंधित त्रुटियो का निराकरण करने के बाद कुल राशि रूपये 28050/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढोतरी हुई। एवं इसके अलावा अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 3 व 4 पर खाता संख्या 17 (नया) 20 (पुराना) के आराजी संख्या 976 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 1191683/– के बजाय 1959503/– रूपये बनना था जिससे राशि 767820/– रूपये की वृद्धि हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 10 पर खाता संख्या 33 (नया) 46 (पुराना) के आराजी संख्या 913 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 2870662/– के बजाय 2486894/– रूपये बनना था जिससे राशि 383768/– रूपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 17 पर खाता संख्या 80 (नया) 78 (पुराना) के आराजी संख्या 510 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 1429569/– के बजाय 1237681/– रूपये बनना था जिससे राशि 191888/– रूपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 17 पर खाता संख्या 83 (नया) 1 (पुराना) के आराजी संख्या 567 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 4267094/– के बजाय 42739856/– रूपये बनना था जिससे राशि 38472762/– रूपये की वृद्धि हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 26 पर खाता संख्या 154 (नया) 124 (पुराना) के आराजी संख्या 473 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 1252852/– के बजाय 1060956/– रूपये बनना था जिससे राशि 191896/– रूपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 27 पर खाता संख्या 11 (नया) 135 (पुराना) के आराजी संख्या 1061/489 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 11417334/– के बजाय 2283469/– रूपये बनना था जिससे राशि 9133865/– रूपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 29 पर खाता संख्या 118 (नया) 161 (पुराना) के आराजी संख्या 495 व 1054/495 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 3640836/– के बजाय 11853423/– रूपये बनना था जिससे राशि 8212587/– रूपये की वृद्धि हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 30 पर खाता संख्या 175 (नया) 1 (पुराना) के आराजी संख्या 1039/566 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 1928827/– के बजाय 3464456/– रूपये बनना था जिससे राशि 1535629/– रूपये की वृद्धि हुई, इस कारण राशि 48988798/– रूपये की वृद्धि व राशि 9901417/– रूपये की कमी जिससे कुल राशि रूपये 39087381/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में वृद्धि हुई। इसके अलावा एक और त्रुटी पायी गयी जिसमें पाया गया कि गांव बारी के पृष्ठ संख्या 31 पर सरकारी भूमि में निर्मित राजु पिता गौतम के मकान की राशि 42600/– रूपये व प्रकाश पिता प्रभु के मकान की राशि 153360/– रूपये कुल राशि 195960/– रूपये जो अनुमोदित अवार्ड के अंतिम योग में जोडने से शेष रह गया था जिसे संशोधित अवार्ड में जोडा गया है। जिससे राशि 195960/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में वृद्धि हुई।

इस प्रकार गांव बारी में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 1117970580/– रूपये के बजाय राशि 1157281971/– रूपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 39311391/– रूपये अवार्ड में वृद्धि की गई।

गांव रेल में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ो संबंधित त्रुटियो का निराकरण करने के बाद कुल राशि रूपये 15133/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढोतरी हुई। एवं इसके अलावा अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 8 (नया) 74 (पुराना) के आराजी संख्या 324, 488/324, 323 व 487/323 में से खातेदार कानजी पिता रंगजी ने 487/323 व 488/324 की भूमि विक्रय की इसमें 488/324 में से 3436 वर्ग फीट शेष रही इसके अलावा 487/323 की पूर्ण भूमि विक्रय कर दी जिससे इसे संशोधन अवार्ड से हटाया जाना है। इस प्रकार खातेदार के अवार्ड के कुल राशि 10385289/– के बजाय 2131626/– रूपये बनना था

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

जिससे राशि 8253663/– रूपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 8 (नया) 74 (पुराना) के आराजी संख्या 487/323 व 488/324 में हार्दिक पिता जितेन्द्र के गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 2884357/– के बजाय 1774214/– रूपये बनना था जिससे राशि 1110143/– रूपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 8 (नया) 74 (पुराना) के आराजी संख्या 487/323 व 488/324 में धर्मेश पिता अजित कुमार के गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 2884357/– के बजाय 2850337/– रूपये बनना था जिससे राशि 34020/– रूपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 8 (नया) 74 (पुराना) के आराजी संख्या 487/323 व 488/324 में गौरव पिता जितेन्द्र के गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 2884357/– के बजाय 3003230/– रूपये बनना था जिससे राशि 118873/– रूपये की वृद्धि हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 20 पर खाता संख्या 57 (नया) 54 (पुराना) के आराजी संख्या 495/492/401 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 18397/– के बजाय 15036/– रूपये बनना था जिससे राशि 3361/– रूपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 21 पर खाता संख्या 85 (नया) 31 (पुराना) के आराजी संख्या 498/391 की कृषि भूमि में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 921296/– के बजाय 191945/– रूपये बनना था व इसी खसरे की आबादी भूमि में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 4892334/– के बजाय 5562319/– रूपये बनना था एवं इन खसरों के कुल योग की राशि में अन्तर पाया गया जिससे अनुमोदन अवार्ड में राशि 4141585/– रूपये के बजाय 8974556/– रूपये होता है। जिससे राशि 4832971/– रूपये की वृद्धि हुई, इस कारण **राशि 4951844/– रूपये की वृद्धि व राशि 9401187/– रूपये की कमी जिससे कुल राशि रूपये 4449343/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में कमी हुई।** इसके अलावा एक और त्रुटी पायी गयी जिसमें पाया गया कि गांव रेल के पृष्ठ संख्या 17 पर खाता संख्या 90 (नया) 1 (पुराना) के खसरा संख्या 261 में राशि 1184620/– रूपये, पृष्ठ संख्या 12 पर खाता संख्या 60 (नया) 57 (पुराना) में स्थित जनक पिता कालुराम के मकान की राशि 122720/– रूपये कुल राशि 1307340/– रूपये जो अनुमोदित अवार्ड के अंतिम योग में जोडने से शेष रह गया था जिसे संशोधित अवार्ड में जोडा गया है। जिससे **राशि 1307340/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में वृद्धि हुई।**

इस प्रकार गांव रेल में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 493411876/– रूपये के बजाय राशि 490285006/– रूपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 3126870/– रूपये अवार्ड में कमी की गई।

गांव सजवानिया में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकडो संबंधित त्रुटियो का निराकरण करने के बाद **कुल राशि रूपये 5401/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढोतरी हुई।** एवं इसके अलावा अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 8 पर खाता संख्या 112 (नया) 76 (पुराना) के आराजी संख्या 792 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 3070986/– के बजाय 1113281/– रूपये बनना था जिससे राशि 1957705/– रूपये की कमी हुई इस कारण **राशि 1957705/– रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में कमी हुई।** इसके अलावा एक और त्रुटी पायी गयी जिसमें पाया गया कि गांव सजवानिया के पृष्ठ संख्या 8 पर खाता संख्या 112 (नया) 76 (पुराना) खसरा संख्या 792 में राशि 3070986/– रूपये, पृष्ठ संख्या 5 खाता संख्या 35 (नया) 51 (पुराना) में स्थित लक्ष्मण पिता नाकला के मकान की राशि 40220/– रूपये व खाता संख्या 35 (नया) 51 (पुराना) में स्थित वरसिंह पिता नाकला के मकान की राशि 32858/– रूपये कुल राशि 3144064/– रूपये जो अनुमोदित अवार्ड के अंतिम योग में जोडने से शेष रह गया था जिसे संशोधित अवार्ड में जोडा गया है। जिससे राशि 3144064/– रूपये का अनुमोदन **अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में वृद्धि हुई।**

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा (राज.)

इस प्रकार गांव सजवानिया में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 146909868/- रूपये के बजाय राशि 148101628/- रूपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 1191760/- रूपये अवार्ड में वृद्धि की की गई।

गांव कटुम्बी में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ो संबंधित त्रुटियो का निराकरण करने के बाद कुल राशि रूपये 4793/- रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढोतरी हुई।

इस प्रकार गांव कटुम्बी में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 124340997/- रूपये के बजाय राशि 124345790/- रूपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 4793/- रूपये अवार्ड में कमी की की गई।

गांव खाण्डियादेव में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ो संबंधित त्रुटियो का निराकरण करने के बाद कुल राशि रूपये 9819/- रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढोतरी हुई। एवं इसके अलावा अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 22 (नया) 63 (पुराना) के आराजी संख्या 19 व 584/68 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 18510628/- के बजाय 4586460/- रूपये बनना था जिससे राशि 13924168/- रूपये की कमी हुई इस कारण राशि 13924168/- रूपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में कमी हुई।

इस प्रकार गांव खाण्डियादेव में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 272737862/- रूपये के बजाय राशि 258823513/- रूपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 13914349/- रूपये अवार्ड में कमी की की गई।

इस प्रकार सभी गावों राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अन्त में कुल राशि 8054323/- रूपया की कमी का अन्तर पाया गया।

अतः अब सभी संशोधन किये जाने के बाद अनुमोदित अवार्ड की राशि 2819075828/- रूपये के बजाय संशोधित अवार्ड राशि 2811021505/- रूपये होती है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की ग्रामवार सूचि में तो कोई भी त्रुटी नही है परन्तु संक्षिप्त सूचि (समरी शीट) में अन्तर पाया गया जिसे भी शुद्धि किया जाना आवश्यक है। इसकी जांच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 430-31 दिनांक 5-10-2013 से जांच कराने पर यूनिक टेक्नोक्रेट्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा. लि. लखनऊ हाल शारदा कोलोनी बांसवाडा के पत्रांक 165 दिनांक 21-10-2015 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

मुताबिक रिपोर्ट ग्राम बारी में क्रम संख्या 18 (पुराना) में धर्मेन्द्र पिता फतिया की राशि 236000/- के बजाय 436000/- रूपये, क्रम संख्या 47 (पुराना) में भुलकी पुत्री हुरजी की राशि 236000/- के बजाय 436000/- रूपये क्रम संख्या 49 (पुराना) में विजय पुत्री हुरजी की शुन्य के बजाय राशि 936000/- रूपये, क्रम संख्या 215 (पुराना) में रमेश पिता दलीचन्द की राशि 936000/- रूपये के बजाय राशि 736000/- रूपये व क्रम संख्या 216 (पुराना) में सुखलाल के राशि 436000/- रूपये के बजाय राशि 236000/- रूपये इस प्रकार कुल अन्तर राशि 936000/- रूपये पाया गया।

ग्राम खाण्डियादेव में क्रम संख्या 70 (पुराना) में कान्ता पत्नि नाथु की शुन्य के बजाय राशि 936000/- रूपये, क्रम संख्या 71 (पुराना) में कान्ति पुत्र अरूण की शुन्य के बजाय राशि 936000/- रूपये, क्रम संख्या 72 (पुराना) में रमेश पिता गौतम की शुन्य के बजाय राशि 936000/- रूपये, क्रम संख्या 73 (पुराना) में वेलजी पिता मेगा की शुन्य के बजाय राशि

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बांसवाड़

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

936000/– रूपये व क्रम संख्या 74 (पुराना) में गौतम पिता देवा के शुन्य के बजाय राशि 936000/– रूपये इस प्रकार कुल अन्तर राशि 4680000/– रूपये पाया गया।

ग्राम रेल में क्रम संख्या 32 (पुराना) में गोती पुत्री बारीया की राशि 236000/– के बजाय 736000/– रूपये, क्रम संख्या 41 (पुराना) में गंगा पुत्री धनजी की राशि 236000/– के बजाय 736000/– रूपये, क्रम संख्या 93 (पुराना) में केसरी पुत्री वजीया की राशि 236000/– के बजाय राशि 736000/– रूपये, क्रम संख्या 118 (पुराना) में जामा पत्नि भगुडा की राशि 436000/– रूपये के बजाय राशि 936000/– रूपये व क्रम संख्या 119 (पुराना) में लक्ष्मी पत्नि मगन के राशि 436000/– रूपये के बजाय राशि 936000/– रूपये इस प्रकार कुल अन्तर राशि 2500000/– रूपये पाया गया।

ग्राम सजवानिया क्रम संख्या 4 (पुराना) में सतुरी पत्नि फुलिया की राशि 436000/– के बजाय 936000/– रूपये, क्रम संख्या 13 (पुराना) में ललिता पुत्री कान्ती की राशि 236000/– के बजाय 736000/– रूपये, क्रम संख्या 17 (पुराना) में इतरी पत्नि केसरीमल की राशि 436000/– के बजाय राशि 936000/– रूपये, क्रम संख्या 17 (पुराना) में भुरी की राशि 236000/– रूपये के बजाय राशि 736000/– रूपये, क्रम संख्या 20 (पुराना) में छगन पुत्र लालु के राशि 223600/– रूपये के बजाय राशि 736000/– रूपये, क्रम संख्या 25 (पुराना) में विश्राम पुत्र भीमा की राशि 436000/– के बजाय 936000/– रूपये, क्रम संख्या 25 (पुराना) में अनिता पुत्री विश्राम की राशि 236000/– के बजाय 736000/– रूपये, क्रम संख्या 32 (पुराना) में राजकुमारी पुत्री हुरजी की राशि 236000/– के बजाय राशि 736000/– रूपये, क्रम संख्या 42 (पुराना) में जमना पत्नि प्रभु की राशि 436000/– रूपये के बजाय राशि 936000/– रूपये व क्रम संख्या 95 (पुराना) में गवरा पुत्री सुखिया के राशि 236000/– रूपये के बजाय राशि 736000/– रूपये इस प्रकार कुल अन्तर राशि 5012400/– रूपये पाया गया।

इस प्रकार चारों गांवों में सम्पूर्ण कुल राशि 13128400/– की वृद्धि की गई है।

अतः अब उक्त सभी त्रुटियो को सही किया जाकर मैं रूकमणि रियाड सिहाग भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाडा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13 ए के अन्तर्गत संशोधित अवार्ड जो पृथक से अवार्ड का स्टेटमेन्ट (परिशिष्ट क) तैयार किया जाकर संलग्न है एवं पूर्व में जारी अवार्ड राशि रूपये 2,81,90,75,28/– के बजाय अब राशि रूपये 2,81,10,21,505/– का संशोधित अवार्ड जारी किया जाता है।

अन्य राशि में पाये गये अन्तर को संशोधित करने पर निम्नानुसार राशि का संशोधित अवार्ड जारी किया जाता है।

1	अवाप्त शुदा भूमि की किमत	–	रू.	347081013/–
2	मकानों की राशि	–	रू.	90357974/–
3	पेड़ों की राशि	–	रू.	32121680/–
4	कुओं की राशि	–	रू.	19170888/–
5	ब्याज की राशि	–	रू.	370055052/–
6	सोलेशियम का राशि	–	रू.	1324544928/–
7	अवाप्तशुदा भूमि की अंतिम देय मुआवजा राशि	–	रू.	2811021505/–
8	पूंजीगत मूल्य	–	रू.	200300/–
9	Provision of housing unit or lump sum grant of rs. Two Lakh in lieu of constructed house	–	रू.	159400000/–
10	One time (5 lacs)	–	रू.	237500000/–
11	Subsistence grant rs. 86000/- lump sum for displaced families	–	रू.	139492000/–
12	Transportation cost rs. 50000/- lump sum for the displaced families	–	रू.	81100000/–
13	Cattle shed/petty shops cost rs. 25000/-	–	रू.	40550000/–
14	One time grant to artisan, small traders Rs. 25000/-	–	रू.	40550000/–

अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner